Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **<u>न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़</u>** मुकाम **<u>चित्तौड़गढ</u>**

<u>मनोज अग्रवाल</u> बनाम **<u>सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर</u>**

किस्म मुकदमा **<u>अपील (सूचना का अधिकार)</u>** नं0 **<u>081</u>** सन् **<u>2022</u>**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.2022	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो बाद जांच पेश हुई। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी मनोज अग्रवाल पिता रामलाल अग्रवाल निवासी पुराना बाजार फतहनगर जिला उदयपुर मोबाईल 9414131460 ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर को उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मेमों में अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी कपासन से प्रस्तुत किया गया जो कि उपखण्ड अधिकारी कपासन द्वारा उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर को अंतरित किया गया एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर द्वारा सचूना उपलब्ध कराये जाने हेतु तहसीलदार भूपालसागर को प्रेषित किया गया। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन के साथ में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क की प्रति उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा साधारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर द्वारा तहसीलदार भूपालसागर को प्रेषित पत्र क्रमांक/आरटीआई/2022/1066 दिनांक 10.08.2022 की प्रति प्रस्तुत की गई हैं इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार से कोई अनुलग्नक यथा पोस्टल ऑर्डर की प्रति, डाक रसीद, मूल आवेदन पत्र की प्रति इत्यादि संलग्न नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से अपील अपीलार्थी एडमिशन स्तर पर खारीज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी को नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किये जाने के निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील मूल आवेदन पत्र की प्रति एवं अन्य दस्तावेज के अभाव में ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से अपील अपीलार्थी एडमिशन स्तर पर खारीज की जाती है, एवं अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करावे। अहकाम की प्रतिलिपि संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- **(अरविन्द कुमार पोसवाल)** **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी** जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 31.10.2022 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	